

प्रेस-नोट
थाना रक्सा

दिनांक- 17.08.2024

01 तमंचा एवं 09 कारतूस के साथ अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश को थाना रक्सा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया.

थाना रक्सा पुलिस द्वारा ग्राम रामगढ के ग्रामीणों की मदद से अभियुक्त भोला कुशवाहा पुत्र हरगोविन्द कुशवाहा नि० रिछरा फाटक वाहर थाना कोतवाली दतिया जनपद दतिया उम्र करीव 28 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 09 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना रक्सा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 16/17.08.2024 की रात्रि में ग्राम रामगढ के निवासी कॉलर द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गयी कि घर में चोर है। प्राप्त सूचना पर डायल 112 ग्राम रामगढ पहुँची जहाँ गांव वालो की मदद से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 09 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 203/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रक्सा जनपद झाँसी पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. भोला कुशवाहा पुत्र हरगोविन्द कुशवाहा नि० रिछरा फाटक वाहर थाना कोतवाली दतिया जनपद दतिया उम्र करीव 28 वर्ष

अभियुक्त से बरामद

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 09 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार का स्थान व समय: ग्राम रामगढ थाना रक्सा जनपद झाँसी, दिनांक 16.08.2024

गिरफ्तार अभि० का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०स० 243/14 धारा 294,336,34,506 भादवि थाना कोतवाली दतिया म०प्र०
2. मु०अ०स० 172/16 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली दतिया म०प्र०
3. मु०अ०स० 339/16 धारा 307/34 भादवि थाना कोतवाली दतिया म०प्र०
4. मु०अ०स० 277/23 धारा 307/392/412 भादवि व 25/27 आर्मस एक्ट व 11,13 MPDK ACT थाना कोतवाली दतिया म०प्र०
5. मु०अ०स० 43/14 धारा 327/336/34/506 भादवि थाना सोनागिर जिला दतिया म०प्र०
6. मु०अ०स० 07/2017 धारा 307/41/411 भादवि व 25/3 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली जिला झाँसी
7. मु०अ०स० 185/2017 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जिला झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. उ०नि० श्री आशाराम गोयल थाना रक्सा जनपद झाँसी
2. का० 1838 शशिकान्त पटेल थाना रक्सा जनपद झाँसी
3. चालक का० रणजीत सिंह थाना रक्सा जनपद झाँसी।